रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1979/अग्रहायण 26, 1901
No. 395] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 17, 1979/ AGRAHAYANA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1979

सा०का०नि० 702. (अ)/आ०व०/चीनी.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि चीनी के साम्यापूर्ण वितरण और उचित कीमत पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम चीनी (मान्यताप्राप्त व्यवहारी द्वारा प्रतिधारण और विक्रय) आदेश, 1979 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में,—

(क) "मान्यताप्राप्त व्यवहारी" से चीनी के क्रय, विक्रय या वितरण के कारबार में लगा हुआ और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त चीनी व्यवहारियों के अनुज्ञापन से संबंधित आदेशों के अधीन अनुज्ञाप्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "चीनी" से निर्वात कटाह प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित चीनी अभिप्रेत है।

3. चीनी के भण्डार का प्रतिधारण.—(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त व्यवहारी, इस आदेश के प्रारम्भ की तारीख को कारबार समाप्त होने पर अपने पास बची चीनी के भण्डार का पैंसठ प्रतिशत, राज्य सरकार को, या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को, या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम को या ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, इस आदेश के उपबन्धों के अधीन और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, विक्रय के लिए प्रतिधारित करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपखण्ड के प्रयोजनार्थ, ऐसी चीनी को किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी के पास बची हुई चीनी समझा जाएगा जिसे इस आदेश के प्रारम्भ से पूर्व किसी चीनी उत्पादक या किसी अन्य मान्यताप्राप्त व्यवहारी ने किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी को परिदत्त या प्रेषित कर दिया है किन्तु वह ऐसे मान्यताप्राप्त व्यवहारी को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय प्राप्त हुई है।

(2) यदि कोई मान्यताप्राप्त व्यवहारी उपखण्ड (1) के अधीन चीनी प्रतिधारित करता है तो वह तत्पश्चात् तुरन्त इस प्रकार प्रतिधारित चीनी की मात्रा राज्य सरकार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) यदि मान्यताप्राप्त व्यवहारी इस आदेश के उपबन्धों के अधीन चीनी विक्रय करता है, जो उसे, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में चीनी की कीमत संदत्त की जाएगी :—

(क) जहां ऐसी किसी कीमत के लिए जो खण्ड 4 के अधीन नियत की गई नियंत्रित कीमत से संगत है, सहमति हो जाती है वहां ऐसी सहमत कीमत;

(ख) जहां ऐसी कोई सहमति नहीं हो सकती है वहां इस प्रकार नियंत्रित कीमत के निर्देश से संगणित कीमत;

4. नियंत्रित कीमत.—खण्ड 3 के प्रयोजनार्थ, चीनी की नियंत्रित कीमत दो सौ अस्सी रु० प्रति क्विंटल होगी।

5. प्रवेश, परीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो सहायक उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने के लिए कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है,—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी नौका, मोटर या किसी अन्य यान या किसी पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका प्रयोग चीनी के परिवहन के लिए किया गया है या प्रयोग किया जाना आशयित है ;

(ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ग) (i) चीनी के किसी ऐसे भंडार का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है ;

(ii) किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों का अभिग्रहण कर सकेगा जिनमें चीनी का ऐसा भण्डार पाया गया है ;

(iii) चीनी के ऐसे भण्डार के लिए प्रयुक्त जीवजन्तुओं, यानों, जलयानों या अन्य सवारियों का उस दशा में अभिग्रहण कर सकेगा जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे जीवजन्तु, यान, जलयान या अन्य सवारियां, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबन्धों के अधीन समपहृत की जा सकती हैं और तत्पश्चात् इस प्रकार समपहृत पैकेजों, आवेष्टकों, पात्रों, जीवजन्तुओं, जलयानों या अन्य सवारियों के न्यायालय में पेश करने और पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत करेगा ;

(घ) ऐसी लेखा-बहियों या दस्तावेजों की, जो उसकी राय में इस आदेश के किसी उल्लंघन की बाबत किन्हीं कार्यवाहियों में लाभदायक या सुसंगत हो सकती हैं, परीक्षा कर सकेगा या उनका अभिग्रहण कर सकेगा तथा ऐसी लेखा-बहियों या दस्तावेजों उस व्यक्ति को, जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था, उस व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित उनकी प्रतियां, या उनके उद्धरण लेने के पश्चात् वापस कर सकेगा।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध जहां तक साध्य हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण को लागू होंगे।

[सं० 1-50/79-एस पी वाई-डेस्क II]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th December, 1979

G.S.R. 702(E)/Ess. Com./Sugar.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the equitable distribution and availability of sugar at fair prices ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Sugar (Retention and Sale by Recognised Dealers) Order, 1979.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Order,—

(a) "recognised dealer" means a person carrying on the business of purchasing, selling or distributing sugar and licensed under the Orders relating to licensing of sugar dealers for the time being in force in a State or Union territory ;

(b) "sugar" means sugar manufactured by vacuum pan process.

3. Retention of stocks of sugar.—(1) Every recognised dealer shall retain sixty-five per cent of the stocks of sugar held by him at the close of business on the date of commencement of this Order for the purpose of sale to the State Government, or to an officer or agent of such Government, or to a corporation owned or controlled by such Government, or to such other person or class of persons as may be specified by the State Government, under the provisions of this Order and subject to such terms and conditions as may be specified by the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-clause, sugar delivered or despatched ot a recognised dealer by a producer of sugar or any other recognised dealer prior to the commencement of this Order but which is received by such recognised dealer at any time after such commencement shall be deemed to be sugar held by the recognised dealer on the commencement of this Order.

(2) Where sugar has been retained under sub-clause (1) by a recognised dealer, he shall immediately thereafter intimate the quantity of sugar so retained by him to the State Government.

(3) Where a recognised dealer sells sugar under the provisions of this Order, there shall be paid to him the price therefor as hereinafter provided :—

(a) where the price can, consistently with the controlled price fixed under clause 4, be agreed upon, the agreed price;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to such controlled price.

4. Controlled price.—For the purposes of clause 3, the controlled price of sugar shall be rupees two hundred and eighty only per quintal.

5. Powers of entry, examination, search, seizure.—(1) Any Police Officer, not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any other Officer authorised in this behalf by the Central Government or the State Government may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with,—

(a) stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle used or intended to be used for the transport of sugar ;

(b) enter, search and examine any place ;

(c) seize—

(i) any stock of sugar in respect of which he has any reason to believe that a contravention of any of the provisions of this Order has been is being, or is about to be committed ;

(ii) any packages, covering or receptacles in which such stock of sugar is found ;

(iii) the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying such stock of sugar if he has reason to believe that such animals, vehicles, vessels, or other conveyances are liable to be forfeited under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles, animals, vessels or other conveyances so seized in a court and for their safe custody pending such production;

(d) examine or seize any books of accounts or documents which in his opinion, would be useful for, or relevant to, any proceedings in respect of any contravention of this Order and return such books of accounts and documents to the person from whom they were seized after copies thereof or extracts therefrom, as certified by that person, have been taken.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

[No. 1-50/79-SPY-Desk II]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979

PUBLISHED BY AUTHO

सं० 396] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 1979/अग्रहायण 27, 1901
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 18, 1979/AGRAHAYANA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 703(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 202-सीमा-शुल्क [सा. का. नि. सं. 561 (अ.)], तारीख 1 अक्तूबर, 1979 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् उक्त

997 GI/79

अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
5	डेनमार्क के क्रोनर	65.30

[सं. 240-सीमा-शुल्क/फा. सं. 503/6/79-सी.शु.-6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 703(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 202-CUS. [G.S.R. No. 561(E)], dated the 1st October, 1979, namely :—

In the Schedule below the said notification,—

For Serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
5	Danish Kriners	**65.30**

A. BORDIA, Under Secy.

[No. 240-CUS/F. No. 503/679-CUS. VI]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979